महिलाओं स□जुड़□महत्वपूर्ण मुद्दों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुखर करें - लोक सभा अध्यक्ष न□कहा

न्यूयार्क, 31 अगस्त, 2015 : लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो न्यूयार्क में संसद की महिला अध्यक्षों की दसवीं बैठक में भाग ले रही हैं, ने विकासः लैंगिक समानता के लिए वित्त पोषण हेतु नई पहल विषय पर एक प्रस्तुति दी और स्थानीय तथा वैश्विक स्तरों पर महिलाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों को मुखर करने का आग्रह किया । इस बैठक में विश्व भर से अध्यक्ष और सांसद भाग ले रहे हैं ।

यह टिप्पणी करते हुए कि लैंगिक समानता का तात्पर्य अवसर उपलब्ध कराने में समानता, निष्पक्षता और न्याय प्रदान करना है, श्रीमती महाजन ने कहा कि भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने की लंबी परंपरा रही है और उनकी संसाधनों तथा अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है । उन्होंने प्राचीन भारत की सफल महिलाओं अर्थात् गार्गी (दार्शनिक), मैत्रेयी (विचारक) और लीलावती (गणितज्ञ) के उदाहरण दिए।

श्रीमती महाजन ने यह भी कहा कि भारत में 57 मंत्रालयों और विभागों में "जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ (जीबीसी) बनाकर जेंडर बजटिंग प्रक्रिया शुरू की गई है । सरकारी बजट में लैंगिक विश्लेषण के समेकन को सुकर बनाने के लिए मार्गदर्शन और कार्यान्वयन हेतु एक "जेंडर बजट चार्टर" भी तैयार किया गया है । वार्षिक कार्य योजना आरूप के परिचालन का प्रावधान जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों को महिलाओं को संसाधनों के आवंटन से आगे की प्रक्रिया पर कार्य करने में समर्थ बनाता है । इसके अतिरिक्त, भारत में जेंडर बजट स्टेटमेंट का तंत्र है जो लैंगिक समानता के क्षेत्र में हुई प्रगति पर निगरानी रखता है । तदनुसार, जेंडर बजट जिस तरीके से

वर्ष 2005-06 के 143786 मिलियन से बढ़कर 2015-16 में 792578 मिलियन हो गया है, यह काफी अधिक बढ़ोतरी है ।

वित्तीय समावेशन के जरिये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेशन से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन है । इसके अलावा, भारत में विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईडी) या आधार कार्ड योजना में निर्धन और उपेक्षित महिलाओं को पहचान का प्रमाण उपलब्ध कराता है । आधार कार्ड से महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन, छात्रवृत्तियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी आदि जैसे अन्य लाभों के संवितरण में सहायता मिलती है । भारत ने महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए "भारतीय महिला बैंक लिमिटेड" की स्थापना भी की है । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; राष्ट्रीय महिला ऋण कोष जैसी अनूठी पहलों से महिलाओं को सीधे वित्तीय पहुंच मिल जाती है । इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों और स्व-सहायता समूहों की सहायता से भारत में अनेक छोटे-छोटे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इनसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है ।

श्रीमती महाजन ने विशिष्ट सभा को अनेक स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया । इस संबंध में, उन्होंने कम से कम एक महिला निदेशक के प्रावधान का उल्लेख किया है जिसे नए कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किया गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु भारत ने उनके लिए स्थानीय शासन में 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया है । इससे उत्साहित होकर, भारत में कुछ राज्य सरकारों ने आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है । भारत सरकार की पहल "बेटी बचाओ,

बेटी पढ़ाओ " पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि इससे न केवल गिरते शिशु लिंगानुपात बल्कि जीवन में महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी समस्या का समाधान करने में सहायता मिलती है ।

इस बात पर जोर देते हुए कि इस मामले में संसदों के अध्यक्षों और विशेष रूप से महिला अध्यक्षों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, उन्होंने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और संसदीय कार्य के हर पहलू में महिलाओं की स्थिति का उल्लेख किया जाए । श्रीमती महाजन ने जोर दिया कि संसदों की महिला अध्यक्षों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संसदीय समितियों में अधिक से अधिक महिलाएं भाग लें और संसदीय □ांचे में प्रभावी नेतृत्व की स्थिति में बड़ी संख्या में महिलाएं नियुक्त की जाएं तथा उन्हें लैंगिक समानता पर चर्चा हेतु सभा में और समय आवंटित किया जाए ।